दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 23-07-2025

सुनवाई • परिवहन विभाग के सचिव ने दिया शपथ पत्र, हाई कोर्ट ने जुलाई 2024 में दैनिक भास्कर की खबर पर लिया था संज्ञान

राज्य सरकार ने बताया- 9 में से 5 सिटी बस चल रहीं, एक जल्द शुरू होगी

बिलासपुर | हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सालों से बंद पड़ी सिटी बस की सेवा फिर शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग के सचिव ने शपथपत्र देकर बताया कि 9 में से 6 सिटी बसों का बीमा, फिटनेस और टैक्स जमा किया जा चुका है। वर्तमान में शहर की सड़कों पर 5 बसें चल रही हैं। एक और जल्द शुरू होगी।

प्रदेश में ठप पड़ी सिटी बस सेवा को लेकर दैनिक भास्कर की खबर पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने संज्ञान लिया था। इस मामले पर 10 जून को सुनवाई करते हुए परिवहन विभाग के सचिव से शपथ पत्र मांगा था। बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर के पत्र का हवाला देते हुए परिवहन सचिव ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया है, इसमें बताया कि तकनीकी समस्याओं के कारण सभी 9 बसें अस्थायी रूप से बंद थीं। लेकिन अब 6 बसों के फिटनेस, बीमा कराने के साथ टैक्स जमा हो गया है। 5 बसें फिर से चलने लगी हैं। 6वीं बस भी एक सप्ताह के भीतर चलने लगेगी।

9 शहरों में चल रही थीं 378 सिटी बसें, अब 272 कबाड़, 106 बचीं, इनमें 70 से 80 ही चल रहीं

27 जुलाई 2024 को प्रकाशित खबर।

हाई कोर्ट ने कहा- निगरानी जारी रहेगी

हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि सिटी बसों की सेवा फिर शुरू करने से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में प्रगति की मॉनिटरिंग जारी रखी जाएगी। 10 सितंबर को अगली सुनवाई तय की गई है।